

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना, आर.ए.एस.  
न्याय निर्णयन आवेदन सं० 43/2024

ऑन लाईन नं. RCMS2024/145

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री रोशनलाल पुत्र श्री मुरलीधर -विक्रेता एवं प्रोपराइटर-  
मै० मुरलीधर रोशन लाल, शॉप न. 28, पुरानी धान मंडी, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/54



निर्णय


दिनांक : 28.10.2024

निर्णय में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री कंवर पाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांक:-एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश क्रमांक:- आयुक्ता०/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंगन है।

आवेदक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.05.2024 को समय 06.30 पीएम बजे को मै० मुरलीधर रोशनलाल, शॉप नं. 28, पुरानी धान मंडी, श्रीगंगानगर पर पहुंचे। मौके पर श्री रोशन लाल पुत्र श्री मुरलीधर(विक्रेता व प्रोपराइटर) को अपना परिचय देकर संस्थान रैक पर रखे खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता व प्रोपराइटर ने संस्थान की रैक पर रखे खाद्य पदार्थ 500-500 ग्राम धनिया पाउडर प्लेन पोली पैक को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। धनिया पाउडर में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते धनिया पाउडर का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंगन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे रोशनलाल पुत्र श्री मुरलीधर एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं श्री रोशन लाल पुत्र श्री मुरलीधर(विक्रेता व प्रोपराइटर) को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5 ए मूल सलंगन न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर 500-500 ग्राम के चार पोली पैक को विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्यशुदा धनिया पाउडर का नगद

  
अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)  
श्रीगंगानगर

भुगतान 320/- रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और आवेदक के भी हस्ताक्षर है। कैशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंगन है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा धनिया पाउडर 500-500 ग्राम के चार पौली पैकेड को अलग-अलग गत्ता बॉक्स में पैक किया। चारों बॉक्सों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड व क्रमांक के-2344 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप के-2344 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री रोशन लाल पुत्र श्री मुरलीधर (विक्रेता व प्रोपराईटर) एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंगन न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :-:L.S./722/Act/2024/722 Dated 04-06-2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2344 Food Containing Extraneous matter under section 3.1.(i) of the Food safety & standards act 2006 due to presence of Turmeric starch** होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त रोशनलाल पुत्र श्री मुरलीधर, निवासी 298 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर, मै. मुरलीधर रोशनलाल, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर धनिया पाउडर का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/54 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 01.10.2024 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी मकान न0 विनोबा बस्ती, जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है तथा प्रार्थी की फर्म मै. मुरलीधर रोशनलाल दुकान न. 28 पुरानी धान मंडी, श्रीगंगानगर का मालिक है तथा प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 24/1631 दिनांक 01.10.2024 का दिया है कि आपकी दुकान में धनिया पाउडर की



*Handwritten signature*  
अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)  
श्रीगंगानगर

जांच की गई तो धनिया पाउडर Containing Extraneous matter under section 3.1.(i) of the Food safety & standards act 2006 due to presence of added starch पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त धनिया पाउडर में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रुख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रुख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। आपकी अति कृपा होगी। परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया धनिया पाउडर का सैम्पल K-2344 जांच रिपोर्ट क्रमांक:-L.S./722/Act/2024/722 Dated 04-06-2024 द्वारा Containing Extraneous matter under section 3.1.(i) of the Food safety & standards act 2006 due to presence of added starch होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कहा कि प्रार्थी ने उक्त धनिया पाउडर में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रुख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रुख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। आपकी अति कृपा होगी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Dhania Powder" bearing Code No and Sr. No. K-2344, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Food containing extraneous matter under section 3.1(i) of the Food Safety & Standards Act-2006 due to presence of Turmeric starch. की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त रोशन लाल पुत्र श्री मुरलीधर को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त रोशन लाल पुत्र श्री मुरलीधर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 54 के अन्तर्गत राशि रुपये 25,000-00 (अखरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(रीना)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)  
श्रीगंगानगर